न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

मु.नं. 150/13/रिकार्ड दुरूस्ती

बजरंगलाल बनाम

सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि

आवेदन पत्र अं.धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं नक्शा दुरूस्ती

आवेदन बाबत पुर्नावलोकन

उपस्थिति– 1. श्री सोहनलाल वकील प्रार्थीगण की ओर से

आदेश दिनांक– 17.06.2014

1. प्रार्थीगण बजरंग लाल आदि की ओर से पुर्नावलोकन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2014 को निर्णय पारित किया जाकर ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नया खसरा नं. 1578 रकबा 0.40 है0 गै.मु. सड़क महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी हजफ की जाकर आंशिक खसरा नं. 1578 रकबा 0.25 है0 पुराने नक्शे के मुताबिक सड़क की उतरी साईड प्रस्तुत आवेदन के प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र धन्ना, केशर पुत्र धन्ना, ज्याना देवी, चुकी देवी पुत्रियां धन्ना हि. 1/3, लक्ष्मी देवी पत्नी नून्दा, विनोद कुमार पुत्र नुन्दा, भंवरी, कमला, शीला, संतोष, माया पुत्रियां नुन्दा हि. 1/3 तथा मदन पिता सुवा हि. 1/3 एवं शेष रकबा 0.15 है0 गै0 मु. रास्ता राज्य सरकार तथा प्रार्थीगण की खातेदारी ख.नं. 1579 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी हजफ की जाकर उसके स्थान पर गै.मु. रास्ता राज्य सरकार के रूप में दुरूस्त करने के आदेश दिये गये है तथा उसी अनुसार नक्शा दुरूस्ती की जाने के आदेश पारित किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद इस तथ्य को लेकर रहा है कि बजरंगलाल पुत्र धन्ना, केशर पुत्र धन्ना, ज्याना देवी, चुकी देवी पुत्रियां धन्ना, लक्ष्मी देवी पत्नी नून्दा, विनोद कुमार पुत्र नुन्दा, भंवरी, कमला, शीला, संतोष, माया पुत्रियां नुन्दा, तथा मदन पिता सुवा के नाम खातेदारी में अंकित रहा रकबा 0.25 है0 किस स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्शित किया जाना है। उपरोक्त बजरंगलाल वगैराह द्वारा अपना उपरोक्त संपूर्ण रकबा 0.25 है0 का बेचान नारायण लाल पुत्र हरदेवाराम जाति बलाई निवासी कासली तहसील धोद जिला सीकर को दिनांक 17.05.2013 को ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया जा चुका है जिसके आधार पर जरिये ना.करण 1438 दिनांक 05.06.2013 को उपरोक्त रकबा 0.25 है0 की खातेदारी भी नारायण लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 में खसरा नं. 1578 रकबा 0.40 है0 में से 0.25 है0 रकबा के बाबत खातेदारी बजरंगलाल वगैराह के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है उसके स्थान पर नारायण लाल के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है क्योंकि निर्णय पारित किये जाने की दिनांक को उपरोक्त बजरंगलाल वगैराह ने अपना हिस्सा नारायण लाल को बेचान कर चुके थे और उनके स्थान पर खातेदारी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

दिनांक 15.04.2014 में उपरोक्त त्रुटि एरर ऑफ द फेस ऑफ रिकार्ड है जो पुर्नावलोकन किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण इस बात के लिए सहमत भी है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 द्वारा में पुर्नावलोकन के माध्यम से संशोधन करते हुए इस प्रकार आदेश पारित किया जावें कि ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नया खसरा नं. 1578 रकबा 0.40 है0 गै.मु. सड़क महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की हजफ की जाकर आंशिक 0.25 है0 पुराने नक्शे के मुताबिक सड़क की उतरी साईड नारायण लाल पुत्र हरदेवाराम जाति बलाई निवासी कासली तहसील धोद जिला सीकर एवं शेष रकबा 0.15 है0 गै0 मु. रास्ता राज्य सरकार तथा प्रार्थी नारायण लाल की खातेदारी ख.नं. 1579 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी हजफ की जाकर उसके स्थान पर गै.मु. रास्ता राज्य सरकार के रूप में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा तद्नुसार नक्शा दुरूस्ती की जावें। अतः प्रार्थीगण आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 पर पुर्नावलोकन किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 में संशोधन करते हुए इस प्रकार आदेश पारित करने की कृपा करें कि ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नया खसरा नं. 1578 रकबा 0.40 है0 गै.मु. सड़क महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की हजफ की जाकर आंशिक 0.25 है0 पुराने नक्शे के मुताबिक सड़क की उतरी साईड नारायण लाल पुत्र हरदेवाराम जाति बलाई निवासी कासली तहसील धोद जिला सीकर एवं शेष रकबा 0.15 है0 गै0 मु. रास्ता राज्य सरकार तथा प्रार्थी नारायण लाल की खातेदारी ख.नं. 1579 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी हजफ की जाकर उसके स्थान पर गै.मु. रास्ता राज्य सरकार के रूप में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा तद्नुसार नक्शा दुरूस्ती की जावें। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक 1170 दिनांक 17.05.2014 के द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है।

2. पुर्नावलोकन आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजकीय पैरोकार हाजिर हुए।
3. हमने वकील प्रार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।
4. वकील प्रार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी के अनुसार खातेदारी प्रार्थीगण बजरंगलाल आदि के नाम से है। ग्राम खूड़ की जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 170 ख.नं. 1579 की खातेदारी प्रार्थीगण बजरंगलाल द्वारा ना.करण सं. 1438 दिनांक 05.06.2013 बेचान से खाता नारायणलाल पुत्र हरदेवाराम जाति बलाई निवासी कासली के नाम से हुआ है। उक्त जमाबंदी का अंकन न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 15.04.2014 सू पूर्व का है। चूंकि न्यायालय द्वारा नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये है तथा प्रार्थीगण बजरंगलाल वगैराह एवं केता नारायणलाल ने आपसी सहमति व्यक्त की गई

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

है कि वर्तमान रिकार्ड अनुसार नक्शा दुरूस्ती की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। इसलिए वर्तमान जमाबंदी अंकन अनुसार दुरूस्ती किये जाना न्यायोचित है। राजकीय पैरोकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी तरह की आपति व्यक्त नहीं की गई। अतः ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नया खसरा नं. 1578 रकबा 0.40 है0 गै.मु. सड़क महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की हजफ की जाकर आंशिक 0.25 है0 पुराने नक्शे के मुताबिक सड़क की उतरी साईड नारायण लाल पुत्र हरदेवाराम जाति बलाई निवासी कासली तहसील धोद जिला सीकर एवं शेष रकबा 0.15 है0 गै0 मु. रास्ता राज्य सरकार तथा प्रार्थी नारायण लाल की खातेदारी ख.नं. 1579 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी हजफ की जाकर उसके स्थान पर गै.मु. रास्ता राज्य सरकार के रूप में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा तद्नुसार नक्शा दुरूस्ती की जावें। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 17.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ